UTTARAKHAND STATE LEGAL SERIVCES AUTHORITY

ADR Building
Hon’ble High Court of Uttarakhand Campus
Nainital - 263002

Phone No. 05942-236762, Telefax: 05942-236552,

E-mail: slsa-uk@nic.in & ukslsanainital@gmail.com

Website: https://uttarakhand.nalsa.gov.in

Facebook: Uttarakhand Slsa

Instagram: ukslsanainital2024

YouTube: ukslsa

NALSA Helpline No.: 15100

UKSLSA Toll Free No.: 1800 180 4000

REPORT OF "INTERNATIONAL YOUTH DAY", CELEBRATED ON 12.08.2025

International Youth Day, observed on 12th August every year, is a global recognition of the energy, creativity, and potential of young people in shaping a better tomorrow. The theme for 2025, "Youth as Agents of Change: Shaping a Sustainable and Just Future", reminds us that youth are not only the leaders of tomorrow but also partners of today in addressing challenges such as climate change, social justice, digital empowerment, and inclusive development. With India's vast youth population, the responsibility lies in providing platforms for their voices, engaging them in community development, and empowering them through education, skill-building, and legal awareness. On this day, we must reaffirm our commitment to nurture, guide, and support our young generation so they may truly become the torchbearers of progress and the guardians of a just, inclusive, and sustainable future.

On this **"International Youth Day",** DLSAs in the State have been directed to organize legal awareness camps and programmes in collaboration with concerned stakeholders. During the said awareness camps and programmes, the youth were made aware about:

1. Fundamental Rights and Duties.
2. Right to Equality and Right to Education.
3. Duty to Protect the Environment.
4. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
5. Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
6. Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.
7. Uttarakhand Uniform Civil Code, 2025.
8. The Legal Services Authorities Act, 1987-Free Legal Aid Services, Awareness of Lok Adalats, Legal Aid Clinics, encouraging the use of Permanent Lok Adalats for resolving public utility disputes.
9. Environmental Responsibility: No Vehicles, Only Bicycles or Walking.
10. Anti-drug Awareness.

The campaign sought to raise public awareness about youth rights and responsibilities, motivate youth participation in local development, and advocate for the crucial need to invest in young people for achieving Sustainable

Development Goals (SDGs). The 2025 theme, "Local Youth Actions," focused on empowering youth-led innovation at the community level.

In a commendable demonstration of environmental responsibility aligned with the spirit of International Youth Day 2025, the Hon'ble Executive Chairman of the Uttarakhand SLSA, Nainital, directed a unique initiative encouraging the entire Judicial Fraternity across the state to adopt eco-friendly commuting practices. This initiative underscored the importance of sustainable living and the constitutional obligation to protect the environment, setting a powerful example for all citizens.

In adherence to the directions of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, the occasion of **International Youth Day on 12th August 2025** was commemorated with a distinctive and environmentally responsible initiative across the legal fraternity in Uttarakhand.

On this day, the Hon'ble Judges, Registrars, and staff of the Hon'ble High Court at Nainital exemplified proactive environmental stewardship by choosing to arrive at their offices on foot rather than utilizing motorized vehicles. Supporting this endeavor, the learned Advocates of the High Court Bar Association, Nainital, also participated earnestly, opting for foot commutes to the High Court.

Extending beyond Nainital, this eco-friendly movement was observed in all District and Outlying Courts, Family Courts, Permanent Lok Adalats, and affiliated institutions throughout the state. Judicial Officers, learned Advocates—including members of Bar Associations—and court staff reached their respective offices by bicycle or on foot.

This collective effort was designed to:

- Reduce carbon emissions, contributing to lower levels of air pollution;
- Curb noise pollution in busy judicial and public spaces;
- Promote sustainable and healthy lifestyles among the legal community and beyond;
- Reinforce the constitutional duty under Article 51A(g), reminding every citizen to protect and improve the natural environment.
- By integrating environmental consciousness with the observance of International Youth Day, Uttarakhand's legal institutions not only marked the day's significance but also set a strong example of civic responsibility and sustainable living for the wider public.

To make this occasion more comprehensive and impactful, all District Legal Services Authorities, including TLSCs, organized legal awareness camps and programmes across the State, covering Schools, Colleges, and also engaging the common masses on the aforementioned themes.

The DLSAs also engaged PLVs for the aforesaid awareness initiatives. To maximize outreach, the DLSAs effectively leveraged media, mobile applications, social media platforms, and other digital tools to spread awareness and to ensure active participation of the common masses in the movement. In addition, pamphlets, banners, and other IEC materials were utilized, and Nukkad Nataks were organized across various locations during the campaign to further strengthen public awareness.

During the campaign District Legal Services Authorities, Tehsil Legal Services Committees, and other legal services institutions coordinated a large-scale campaign across Uttarakhand. In total, **619** awareness initiatives were organized, reaching approximately **21659** participants throughout the state.

To enhance visibility and engagement, **47** banners were designed and displayed in prominent public locations. The banners conveyed messages about youth empowerment, community action, and the importance of youth-driven development in line with the year's theme.

Total **10927** pamphlets and brochures were distributed among the general public. These materials highlighted young people's challenges, achievements, and opportunities to inspire positive change. Additionally, **51 rallies were organized** with around 11,320 participants, further amplifying awareness and involvement.

13 Nukkad Nataks (Street Plays) were staged at key locations throughout Uttarakhand. These performances informed the public about youth rights, gender equality, legal literacy, substance abuse prevention, and environmental issues—using compelling narratives and drama.

The campaign spanned **810** villages, tehsils, market places, prisons, and observation homes, ensuring the outreach included diverse socio-economic groups and hard-to-reach populations.

The campaign included plantation and cleanliness drives led by youth, encouraging environmental stewardship. Public messages urged citizens to

avoid motor vehicles and commute on foot or bicycle on Youth Day, thus reducing noise and air pollution.

On the occasion PLV, DLSA Haridwar, organized a 400-meter race at Dream Olympic Sports Academy, Roorkee, to celebrate International Youth Day and promote youth participation in sports. The event encouraged youth to harness their potential and follow Swami Vivekananda's values of self-confidence, hard work, and service. Attendees were also informed about free legal aid, legal rights during arrest, Lok Adalat and ADR Mechanism.

Through multi-format outreach—banners, pamphlets, street plays, rallies, and environmental actions—the campaign significantly enhanced awareness, empowered youth, and promoted civic responsibility. It reinforced the message that young people are vital agents of positive change in Uttarakhand.

International **Youth Day 2025**, as implemented by Legal Services Authorities, was marked by dynamic activities, extensive outreach, and strong community engagement. The campaign successfully met its objectives of legal awareness, youth empowerment, and sustainable development, setting an inspiring example for future initiatives.

****

ACTIVITY PHOTOGRAPHS

To enhance the significance of the occasion, His Lordship, the **Hon'ble Executive Chairman of the Uttarakhand SLSA, Nainital,** along with esteemed Hon'ble Judges of the Uttarakhand High Court, graciously participated by opting to commute to the High Court on foot.

ALMORA

BAGESHWAR

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

HARIDWAR

NAINITAL

नैनीताल जिला न्यायालय ने मनाया विशेष अंदाज में युवा दिवस

वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने अपनाया पैदल मार्ग

PAURI GARHWAL

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

UDHAM SINGH NAGAR

UTTARKASHI

MEDIA CORNER

रैली निकाल नशे के दुष्परिणाम बताए

बागेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जन शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने युवाओं को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा का कर्तव्य, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता, 2025, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, नि:शुल्क विधिक सहायता सेवाएं, लोक अदालतों की भूमिका, स्थायी लोक अदालतों की भूमिका, उद्देश्य, नशे के दुष्प्रभावों एवं नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही नगर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। शिविर में जितेन्द्र तिवारी, निदेशक जन शिक्षक संस्थान ने युवाओं के अधिकार एवं कौशल विकास से सम्बन्धित जानकारी दी। इस मौके पर दर्जनों युवा मौजूद थे।

अल्मोड़ा में युवा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोग

अल्मोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक चौनलिया में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अधिकार मित्र हेमा पांडे ने युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी और उन्हें नशे से दूर रहने को कहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शैलेन्द्र जोशी, विनय कुमार, प्रदीप कुमार, प्रताप बिष्ट, तरुण पाल, संजय कुमार, महेंद्र अधिकारी आदि उपस्थित थे।

विश्व युवा दिवस पर चंपावत में चलाया गया जागरूकता अभियान

चंपावत। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मंगलवार को जिला जज और प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता और सचिव भवदीप रावते के संचालन में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर कार्यक्रम हुआ। कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जिला न्यायालय, डीएम कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी अपने आवास से कार्यालय तक पैदल पहुंचे। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी) में निहित कर्तव्यों और स्वस्थ पर्यावरण के प्रति नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक रहा।

तहसील लोहाघाट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना और उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में रावते ने लोहाघाट क्षेत्र के पीएलवी, अधिकार मित्र और छात्र-छात्राओं को बच्चों के अधिकार, बाल उत्पीड़न से संबंधित कानूनों, स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। संवाद

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला जज ने दिया पैदल चलने का संदेश

गबर सिंह भंडारी

हरिद्वार/ पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल (सबसे तेज प्रधान टाइम्स)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला जज/अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्म सिंह ने अपने आवास से न्यायालय तक पैदल आकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य के लिये पैदल चलने व साइकिल का उपयोग करने का संदेश दिया। जिला जज ने सभी को अपने कार्यालयों तक पैदल या साइकिल से आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के लिए पैदल चलना और साइकिल का उपयोग बेहद जरूरी है। अगर हम छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें,तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को न सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये,बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अवसर पर आयोजित गोष्ठी में युवाओं को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक,कानूनी व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। युवाओं के मौलिक अधिकार व कर्तव्य,पर्यावरण की सुरक्षा,किशोर न्याय अधिनियम 2015,बाल विवाह अधिनियम 2006,पॉक्सो अधिनियम 2012,उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2025, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987,नि:शुल्क विधिक सहायता,लोक अदालतें,पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नशा विरोधी जागरुकता जैसे विषयों पर जानकारी दी गयी। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद ए,वाहिद,सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिश कलीम,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक मथेला,चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल प्रसाद बमराडा,असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार,रिटेनर अधिवक्त कुसुम नेगी,स्थायी लोक अदालत सदस्य मयंक शर्मा सहित न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी व प्राविधिक स्वयंसेवक उपस्थित थे।

न्यायालय परिसर में युवाओं के अधिकार और कर्तव्यों पर हुई गोष्ठी

सरल एक्सप्रेस संवाददाता

पौड़ी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्म सिंह ने अपने आवास से न्यायालय तक पैदल आकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य के लिये पैदल चलने व साइकिल का उपयोग करने का संदेश दिया।

जिला जज ने सभी को अपने कार्यालयों तक पैदल या साइकिल से आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के लिए पैदल चलना और साइकिल का उपयोग बेहद जरूरी है। अगर हम छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को न सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

अवसर पर आयोजित गोष्ठी में युवाओं को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। युवाओं के मौलिक अधिकार व कर्तव्य, पर्यावरण की सुरक्षा, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह अधिनियम 2006, पॉक्सो अधिनियम 2012, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2025, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतें, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नशा विरोधी जागरुकता जैसे विषयों पर जानकारी दी गयी।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अल्मोड़ा

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस

12 अगस्त

सर्वाधिक ऊर्जा का भंडार, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव के आधार हैं युवा।
युवा अपनी शक्ति को पहचानें और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा

अधिक जानकारी के लिए - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा,
फोन नं०- 05962-231105, महिला हेल्पलाइन नं. : 181, इमरजेंसी नं० 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नं०-1098
नालसा हेल्पलाइन नं. : 15100, सालसा टोलफ्री नं.: 1800-180-4000, ई-मेल dlsa-alm-uk@gov.in

अर्तराष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला जज गोयल के नेतृत्व में जजों ने आवास से कार्यस्थल तक निकाली पैदल रैली

न्यूज प्रिन्ट संवाददाता

नैनीताल। सरोवर नगरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल हरीश कुमार गोयल के नेतृत्व में मंगलवार को अर्तराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय नैनीताल के समस्त न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगणो द्वारा आवास से अपने कार्यस्थल तक पैदल चलकर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। साथ ही बाहय न्यायालय हल्द्वानी व रामनगर व अन्य विभागों के द्वारा भी दिवस मनाया गया।सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलयानी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम स्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य यह थीम स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका और सामाजिक विकास एवं शांति में उनके व्यापक योगदान पर प्रकाश डालती है। युवाओं को उनके समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें स्थायी विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी लोग पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक बेहतर राष्ट्र एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल हरीश कुमार गोयल , न्यायाधीश सुधीर तोमर, अपर जिला न्यायाधीश नैनीताल कुलदीप शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि प्रकाश, सिविल जज (सी0डि0) नैनीताल, हर्ष यादव, सिविल जज (सी0डि0), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल, बीनू गुलयानी, सिविल जज (जू0डि0) नैनीताल उर्वशी रावत, अपर सिविल जज (जू0डि0) नैनीताल स्नेहा नारंग व चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सोहन तिवारी, डिप्टी चीफलीगल एड डिफेन्स काउन्सिल हेमा शर्मा, शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा, समस्त कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पांडेय के मार्गदर्शन में मंगलवार को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा की ओर से आर्मी पब्लिक स्कूल और राजकीय नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत नालसा थीम गीत 'एक मुट्ठी आसमान' से हुई। शिविर में विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, समानता और शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी, नालसा, सालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निशुल्क विधिक सहायता, "स्थाई लोक अदालत: न्याय की बात हमारे साथ" अभियान, स्थाई लोक अदालत के लाभ और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखाधड़ी, किशोरों में नशे के दुष्प्रभाव, रोकथाम और उपचार, बेस अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र, पोक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, 1 जुलाई से शुरू होकर 90 दिन तक चल रहे 'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए' अभियान और आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर के दौरान नालसा (डॉन) स्कीम 2025 की वीडियो दिखाई गई और पंपलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, अधिकार मित्र और अन्य लोग उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आर्मी पब्लिक स्कूल व राजकीय नर्सिंग कालेज अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

देव केसरी/ संपादक/ जगजीवन सिंह बिष्ट/ अल्मोड़ा -उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुशचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आर्मी पब्लिक स्कूल व राजकीय नर्सिंग कालेज अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गए। शिविरों का आरम्भ नालसा थीम गीत (एक मुट्ठी आसमान) चलाकर किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य,समानता व शिक्षा का अधिकार,किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध

अधिनियम 2006, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी, नालसा, सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, निशुल्क विधिक सहायता ,स्थाई लोक अदालत- न्याय की बात हमारे साथ अभियान, स्थाई लोक अदालत के लाभ, भूमिका, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ, साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखाधड़ी/ घोटालों, किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नकारात्मक परिणाम,रोकथाम और उपचार, बेस अस्पताल में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र,पोक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 व 1 जुलाई 2025 से 90 दिन तक चल रहे मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान व आगामी दिनांक 13अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के विषय में जानकारी दी गई व नालसा(डॉन) स्कीम, 2025 की वीडियो दिखाई व पंफ्लेट वितरित किये गए। शिविरों में प्रधानाचार्य, अध्यापकगण व अधिकार मित्र आदि उपस्थित रहें।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गोष्ठी आयोजित

अल्मोड़ा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा राजकीय पॉलीटेक्निक चौनलिया में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अधिकार मित्र हेमा पांडे ने युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी और उन्हें नशे से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि युवा इस देश की धरोहर हैं। युवाओं के स्वस्थ और शिक्षित होने से देश को सही दिशा मिलेगी। अधिकार मित्र हेमा पांडे ने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और साइबर अपराध के बारे में भी बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शैलेन्द्र जोशी, विनय कुमार, प्रदीप कुमार, प्रताप बिष्ट, तरुण पाल, संजय कुमार, महेंद्र अधिकारी आदि उपस्थित थे।

जिला जज ने दिया पैदल चलने का संदेश

• न्यायालय परिसर में युवाओं के अधिकार पर हुई गोष्ठी

भास्कर समाचार सेवा

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पैदल मार्च करते जिला जज व अन्य।

पौड़ी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्म सिंह ने अपने आवास से न्यायालय तक पैदल आकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य के लिये पैदल चलने व साइकिल का उपयोग करने का संदेश दिया।

जिला जज ने सभी को अपने कार्यालयों तक पैदल या साइकिल से आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के लिए पैदल चलना और साइकिल का उपयोग बेहद जरूरी है। अगर हम छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें, तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को न सिर्फ अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिये, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अवसर पर आयोजित गोष्ठी में युवाओं को प्रभावित करने वाले निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतें, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नशा विरोधी जागरुकता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद ए. वाहिद, सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिश कलीम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक मथेला, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमल प्रसाद बमराडा, विनोद कुमार, कुसुम नेगी, मयंक शर्मा सहित न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी आदि मौजूद रहे।

पैदल यात्रा निकाली

रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तीकरण थीम पर विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया। साथ ही वाहन छोड़कर पैदल यात्रा निकाली। कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं कर्मचारियों ने अपने निजी आवास से न्यायालय परिसर तक पैदल यात्रा की। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार, जिला बार एसोसिएशन के प्रदीप अध्यक्ष जगवाण ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव सुमन, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार, अधिवक्ता महावीर बुटोला, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल गंभीर सिंह रावत मौजूद थे। संवाद

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर न्यायिक अधिकारी के साथ ही अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घरों से वाहन से न पहुंचकर पैदल यात्रा से न्यायालय पहुंचे। जहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने कई रोचक तथ्यों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जगवाण ने अपने युवा काल के अनुभव के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। तथा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। जिसके बाद जिला न्यायालय परिसर से सभी ने अपने आवास

खटीमा के कोर्ट परिसर में निकाली रैली

खटीमा : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के आदेशानुसार अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर सिविल कोर्ट परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित अपर सिविल जज अमित भट्ट के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय युवा रैली का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सामने आने वाली चुनौती जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी के बारे में जागरूकता करना और समाज में उनके योगदान को मान्यता देना है। रैली में अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिचा रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती मंगलानी परिवार न्यायाधीश शयन सिंह, कोर्ट स्टाफ, अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता इलियास सिद्दीकी, चंचल सिंह, सहाना बेगम ,स्नेहा प्रवाह, कमान धामी, विरजेश शर्मा, विमलेश शर्मा, ममता शर्मा, आरबी सिंह राणा, प्रभु दयाल, मीरा, ठगो देवी, भगवती, पिंकी, गीता शर्मा, लाल सिंह, माया देवी, आशा रानी, प्रीति, कमला गोस्वामी, मंजू बिष्ट आदि शामिल रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अल्मोड़ा

अंतराष्ट्रीय युवा दिवस

12 अगस्त

मौलिक कर्त्तव्य	मौलिक अधिकार
☞ संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान	☞ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 - 18
☞ भारत की संप्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना	☞ स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 - 22
☞ सदभाव और भाईचारे को बढ़ावा	☞ शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 - 24
☞ प्राकृति संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण और इसे बेहतर भी बनाना	☞ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25-28
☞ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग	☞ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29-30
☞ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा	☞ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32
☞ स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना	
☞ देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा	
☞ सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत को सहेजना	
☞ वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद का विकास	
☞ मानव-कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास	

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा

अधिक जानकारी के लिए - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा,
फोन नं०- 05962–231105, महिला हेल्पलाइन नं. : 181, इमरजेंसी नं० 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नं०-1098
नालसा हेल्पलाइन नं. : 15100, सालसा टोलफ्री नं.: 1800-180-4000, ई-मेल dlsa-alm-uk@gov.in

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून

द्वारा आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है?

हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ताकि युवाओं की भूमिका को पहचाना जा सके और उन्हें सामाजिक, आर्थिक व विधिक रूप से सशक्त किया जा सके।

इस दिवस के उद्देश्य :

- युवाओं की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- युवाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना
- न्याय प्रणाली में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना
- युवाओं को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा युवाओं के लिए की जा रही पहलें :

- विद्यालयों/महाविद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर
- निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र
- संविधानिक अधिकार एवं कर्तव्य विषयक कार्यशालाएं
- कौशल विकास कार्यक्रम
- विधि छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर
- बाल श्रम, मानव तस्करी, नशा, साइबर अपराध आदि की शिकायत हेतु प्रोत्साहन

युवाओं के अधिकार :

- शिक्षा का अधिकार
- शोषण से सुरक्षा का अधिकार
- निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार
- समानता व अभिव्यक्ति का अधिकार
- सूचना का अधिकार (RTI)

युवा कैसे मदद कर सकते हैं?

- अपने अधिकारों को जानें
- DLSA के कार्यक्रमों में स्वयंसेवी बनें
- दूसरों को न्याय दिलाने में मदद करें
- अपराधों की सूचना दें
- विधिक जागरूकता फैलाएं

संपर्क करें :

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
- जिला न्यायालय परिसर, देहरादून
- निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन : 15100
- वेबसाइट : www.nalsa.gov.in

"सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र!"

युवा को जानो, न्याय को अपनाओ।

DLSA देहरादून द्वारा प्रस्तुत

सचिव/सिविल जज (सी०डि०)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।

अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।

दूरभाष नं० 0135–2520873, नालसा हेल्पलाईन नं० – 15100 टोल फ्री नं० – 1800 180 4000

****